न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी :– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 204/2019

1. जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर जयपुर–302004, राज0 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री यादवेन्द्र सिंह।

प्रार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री नाथूलाल सैनी पताः– मकान नं0 17 ढाणी पाथली राजावास ढोलीका तहसील सिकराय जिला दौसा–303304
2. हेमराज सैनी पुत्र श्री नाथूलाल सैनी पताः– मकान नं017 ढाणी पाथली राजावास ढोलीका तहसील सिकराय जिला दौसा–303304
3. नाथूलाल सैनी पुत्र श्री कंवरी लाल सैनी पताः– ढाणी पाथली राजावास ढोलीका तहसील सिकराय जिला दौसा–303304
4. आनन्दी लाल सैनी पुत्र श्री कन्हैया लाल सैनी पताः– ढाणी पाथली राजावास ढोलीका तहसील सिकराय जिला दौसा–303304
5. महेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री श्रवण लाल सैनी पताः– ढाणी अट्टा बिजोरी पोस्ट भांडारेज, झापडावास तहसील सिकराय जिला दौसा–303501 राज.।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री कैलाश गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांकः 03.09.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री राजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री नाथूलाल सैनी पताः– मकान नं017 ढाणी पाथली राजावास ढोलीका तहसील सिकराय जिला दौसा व अन्य को 13,00,000/–(रूपये तेरह लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा कम्पनी का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी द्वारा अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने से उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई संपत्ति खसरा नंबर 132 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा ग्राम राजावास, ढोलिका, तहसील सिकराय जिला दौसा मे से माप 400 वर्ग मीटर (कन्वर्जन आदेश क्रमांक 452 दिनांक 31.12.2010 तहसीलदार सिकराय) जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 03 सितम्बर 2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा